हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

मंगलवार, 9 जनवरी, 2018/ 19 पौष, 1939(शक)

संख्याः 15

उपाध्यक्ष का चुनाव

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 11 के उप-नियम (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव 11 जनवरी, 2018 को निश्चित किया है । उप-नियम (2) तदैव के अन्तर्गत सूचनाएं दिनांक 10 जनवरी, 2018 को 12.00 बजे (मध्याह्न) से पहले प्राप्त की जाएगी।

इस सम्बन्ध मे सदस्यों का ध्यान उपरोक्त नियमावली के नियम 11 के उप-नियम (2) की ओर आकर्षित किया जाता है :-

> "इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये, सचिव को सम्बोधित लिखित या ऑनलाईन रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसके नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु कोई सदस्य अपने नाम का प्रस्ताव नही करेगा, न अपने नाम का प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा ।"

छपे हुए फार्म इस सचिवालय से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

सचिव,

हि0प्र0 विधान सभा।